प्रेस नोट दिनांक– 29.10.2020

इटावा पुलिस द्वारा शादी टूटने पर युवती को परेशान करने व उसकी फोटोज को सोशल मीडिया पर अभद्र रूप से पोस्ट करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी इटावा व थाना फ्रेण्ड्स कालोनी की संयुक्त टीम द्वारा युवती द्वारा शादी तोडने पर युवती को परेशान करने तथा उसकी फोटोज को सोशल मीडिया पर अभद्र रूप से पोस्ट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.10.2020 को रोनक श्रीवास्तव पुत्री श्री रवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पर सूचना दी गयी कि उनकी शादी राहुल उर्फ लोकेन्द्र पुत्र राधाचरण नि0 संतोष नगर फिरोजाबाद के साथ तय हुई थी तथा शादी तय होने के उपरान्त युवती हो यह जानकारी हई कि राहुल बहुत ज्यादा शराब पीता है तथा वह बहुत ही चरित्रहीन है जिसको लेकर युवती व उसके परिवारीजनों द्वारा इस शादी को तोड दिया गया। रिश्ता टूटने के उपरान्त ही राहुल द्वारा रोनक व उसके परिवारीजनों को शादी करने की धमकी दी जाने लगी थी। राहुल द्वारा रिषभ नाम से फेसबुक आईडी बनाकर रोनक व उसके पारिवारीजनों की फोटोज को गन्दी फोटोज के साथ पोस्ट करके अभद्र कमेन्ट कर रहा है तथा वादिनी के रिश्तेदारों तथा उसके साथ भी गाली गलौज तथा अप्रिय घटना कारित करने का प्रयास किया गया था। वादिनी की तहरीर के आधार पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पर मु0अ0सं0 501/20 धारा 323,504,506,509 भादवि व 67 आईटी एक्ट अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एसओजी इटावा व थाना फ्रेण्ड्स कालोनी की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही थी तथा पुलिस टीम द्वारा विभिन्न साक्ष्यों को संकलित करते हुए उक्त कृत्य कारित करने वाले अभियुक्त को आज दिनांक 29.10.20 को शान्ति नगर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के द्वारा जिस फोन से सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही थी उस मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया गया है तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस पूछताछ–

पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मेरी शादी रोनक से तय हुई थी तथा रोनक व उसके परिवारीजनों द्वारा उसके रिश्ते को तोड दिया गया था जिससे अभियुक्त तथा उसके परिवारिजन की समाज में बदनामी हुई थी जिस कारण अभियुक्त मानसिक रूप से परेशान होकर उक्त कृत्य कारित किया गया था तथा नोएडा जाकर रोनक के भाई के साथ भी मारपीट व रोनक की बहन के घर जाकर गाली गलौच की थी तथा रोनक व उसके परिवारीजनों पर शादी करने के लिये दबाव बनाने का प्रयास किया तथा परन्तु फिर भी शादी के लिये तैयार न होने पर अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया पर रोनक व उसके परिवारीजनों की फोटोज का अभद्र रूप से पोस्ट किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. राहुल उर्फ लोकेन्द्र पुत्र राधाचरण नि0 संतोष नगर फिरोजाबाद।

MEDIA CELL ETAWAH POLICE

बरामदगी–

1. 01 वीवो मोबाइल फोन (जिससे पोस्ट व फोन कॉल किये थे)

पुलिस टीम– प्रथम टीम– श्री सतेन्द्र सिंह यादव एसओजी इटावा, श्री वी0के0 सिंह प्रभारी सर्विलांस इटावा मय टीम।

द्वितीय टीम– श्री प्रमोद कुमार शुक्ला प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेण्ड्स कालोनी मय टीम।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।

MEDIA CELL ETAWAH POLICE